भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 143

2 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: कीटनाशकों की बिक्री

143. श्री बालक नाथः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से प्रतिबंधित रसायनों एवं शाकनाशी-रोधी कपास बीजों युक्त कीटनाशकों की बिक्री की घटनाओं की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) फसलों पर तथा किसानों के स्वास्थ्य पर ऐसे कीटनाशकों और बीजों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस पर तथा देश में इसकी बिक्री को बंद करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

कीटनाशकों की बिक्री के संबंध में लोकसभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 143 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार प्रतिबंधित रसायनयुक्त कीटनाशकों की बिक्री की किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है। तथापि, तीन कपास उत्पादक राज्यों अर्थात-महाराष्ट्र, गुजरात तथा तेलंगाना से हर्बिसाइड टॉलरेंट (एचटी) कपास के बीजों की बिक्री होने संबंधी सूचना प्राप्त हुई है।

(ख): महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अवैधानिक एचटी कपास के बीजों को नागपुर, चंद्रपुर, परभनी, नांदुरबार, यावतमल एवं गढ़चिरोली जिलों में जब्त किया गया था। 102.87 लाख रुपये की कीमत के कुल 9387 अवैधानिक कपास के बीजों के पैकेट तथा 1087 किग्रा. खुले कपास के बीजों को जब्त किया गया था। इसके अतिरिक्त, संबंधित पुलिस स्टेशनों में दोषियों के विरूद्ध 20 एफआईआर दर्ज की गई हैं।

गुजरात सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले एक वर्ष के दौरान एचटी कपास बीजों की बिक्री की 8 घटनाएं हुई हैं। वड़ोदरा, कच्छ, सांबरकंठा तथा गिर-सोमनाथ में एचटी कपास के बीजों की बिक्री करने वाले अपराधियों के खिलाफ 7 एफआईआर दर्ज की गई थीं और भावनगर जिले में एक एफआईआर दर्ज की जा रही है।

तेलंगाना सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एचटी कपास के बीजों की बिक्री की छुटपुट घटनाएं देखने में आई हैं। तथापि, राज्य सरकार द्वारा गहन निगरानी करने एवं प्रभावी बीज नियंत्रण तंत्र अपनाने के कारण पिछले एक वर्ष के दौरान एचटी बीजों की घटनाओं में काफी कमी आई है। वर्ष 2017 में 368 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया और उनमें से 81 नमूनों को एचटी पाजिटिव पाया गया था। वर्ष 2018 में 694 बीज नमूनों की जांच की गई थी तथा उनमें से 119 एचटी पॉजीटिव पाए गए। वर्ष 2019 में 302 बीज नमूनों का परीक्षण किया गया था जिसमें से 8 नमूने एचटी पाजिटिव पाए गए थे। दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए 40 मामलों पर कार्रवाई की गई और 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 7 बीज लाइसेंसधारकों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई और एचटी मिश्रण वाले 907 लाख रू. की कीमत के 29647 कुंतल बीज स्टॉक को जब्त किया गया।

(ग): चूंकि प्रतिबंधित रसायनयुक्त कीटनाशकों की बिक्री की कोई घटना नहीं हुई है, इसलिए फसल एवं किसानों के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, जहां तक एचटी कपास बीजों का संबंध है, देश में उनके उपयोग करने की अनुमति नहीं है और अतएव फसलों एवं किसानों के स्वास्थ्य में एचटी कपास बीजों के पड़ने वाले संभावित प्रभाव का इस विभाग के पास कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

(घ): उपरोक्त पैरा (ख) में उल्लिखित दण्डात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त राज्य सरकारों को गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षकों तथा जिला प्राधिकारियों को एचटी कपास बीजों का अवैधानिक उत्पादन एवं बिक्री को रोकने के लिए सावधान रहने तथा सभी प्रकार के संदेहास्पद मामलों के नमूनें लेने और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में परिणामी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। समय-समय पर एचटी कपास बीजों का उपयोग न करने के लिए किसानों को शिक्षित किया जा रहा है। तेलंगाना में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सांविधिक समितियां ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए गठित की गई है तथा राज्य सरकार ने गैर-कृषि योग्य क्षेत्र को छोड़कर राज्य में ग्लाइफोसेट के उपयोग पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने ग्लाईफॉस्फेट फार्मूलेशन की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है और एचटी कपास की बिक्री की निगरानी की जा रही है तथा लोगों में इसके उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ-साथ दस्तों और प्रवर्तन अधिकारियों के जरिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अतिरिक्त, एचटी कपास बीजों की बिक्री को रोकने के लिए अंतर-मंत्रालयी फील्ड निरीक्षक एवं वैज्ञानिक मूल्यांकन समिति (एफआईएसईसी) गठित की गई है ताकि देश में गैर-अनुमोदित एचटी कपास बीजों के प्रसार के दुष्प्रभाव का मूल्यांकन करने के साथ-साथ इन बीजों में आनुवांशिकता (जीन) की उपस्थिति, कार्यनीतियां एवं उन्हें रोकने के लिए उठाए गए उपायों का मूल्यांकन किया जा सकें। एफआईएसईसी ने एचटी कपास के प्रसार को नियंत्रित करने एवं प्रसार रोकने के लिए तात्कालिक कार्रवाई, अल्पावधिक कार्रवाई तथा मध्यावधि कार्रवाई संबंधी कार्यनीतिक सुझाव दिए हैं। इसके अतिरिक्त इस विभाग ने सभी कपास उगाने वाले राज्यों को परामर्श जारी किए हैं जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि अवैधानिक गैर-अनुमति प्राप्त एचटी कपास की बिक्री एवं खेती को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

*****